(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
62 / 2023	29 / 05 / 2023	21 / 04 / 2025

1. सोहनलाल पुत्र मांगीलाल आयु 50 साल जाति मीना निवासी ग्राम सरजोली तहसील आंधी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र भागीरथ
2. बाबूलाल पुत्र भागीरथ
3. गोवर्धन पुत्र प्रभातीलाल
   समस्त आयु वयस्क समस्त जाति मीना समस्त निवासीयान ग्राम सरजोली तहसील आंधी जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>उपस्थित अभिभाषक</u>
श्री रमाशंकर शर्मा :— वकील वादी।
श्री राजेन्द्र डांगरवाडा :— वकील प्रतिवादी सं0 1

<u>दावा बाबत बेदखली, स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0एक्ट</u>

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री रमाशंकर शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादी की स्वयं की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम सरजोली पटवार हल्का नेवर में आराजी खसरा नम्बर 177/2 रकबा 0.3600है0, खसरा नम्बर 239/2 रकबा 0.2200है0 स्थित है। उक्त वर्णित भूमि पर वादी मौके पर काबिज काश्तकार है। वादी के कब्जे काश्त व हक अधिकार खातेदारी की वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 का कोई संबंध सरोकार नही है। लेकिन फिर भी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 वादी की खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे है तथा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करके वादी के द्वारा भूमि वादग्रस्त के उपयोग उपभोग व कृषि कार्य करने में बाधा दखल उत्पन्न करते है जिसका कि प्रतिवादीगणों को कतई ही अधिकार नही है। प्रतिवादीगण अपने परिवारजन को साथ लेकर वादी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह केवल मात्र वादग्रस्त भूमि में वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में बाधा, दखल करके अतिक्रमण करने के इरादे से एवं लाठी व ताकत के जोर पर वादी को जबरन बेदखल करके वादी की भूमि मे कब्जा व अधिक्रमण कर वादी के कब्जे व कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे है जबकि प्रतिवादीगणों व उनके परिवारजन का वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार का कतई कोई हक अधिकार नही है, वादी की वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग पर अपना अतिक्रमण कर व मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला—जयपुर

की उक्त समस्त कार्यवाहीयां पूर्णतया आपराधिक व गैर कानूनी है। जिनको रोकने व रूकवाने के लिए वादी को वादपत्र माननीय न्यायालय मे पेश करना लाजमी हुआ है। दिनांक 11.05.2023 को वादी को जानकारी हुई कि उक्त वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग पर उक्त प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर लिया है तो वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त अवैध कब्जे को खाली करने को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 ने वादी से गाली गलौच की तथा मौके पर वादी की भूमि में अवैध प्रवेश करते हुए धमकी दी कि हम उक्त कब्जा नही छोडेगे। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग पर प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 द्वारा अतिक्रमण कर किये गये कब्जा को हटवाया जाकर उक्त भूमि को वादी को संभलाया जावें तथा प्रतिवादीगणों को पाबन्द किया जावें कि भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण कर कब्जा ना तो स्वयं करें ना ही अपने ऐजेन्ट सर्वेन्ट, भाई बन्धुओं से करावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर एड0 श्री राजेन्द्र डांगरवाडा ने दिनांक 28.06.2023 को वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल है। शेष प्रतिवादीगण सं0 2 ता 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः दिनांक 20.05.24 को प्रतिवादी सं0 2 ता 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब पेश नही किया। अतः जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी सं0 4 (पैरोकार सरकार तहसीलदार आंधी) ने अपने पत्रांक/आर.टी./2025/183 दिनां 26.03.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रार्थी की राजस्व ग्राम सरजोली में खसरा नम्बर 177/2 रकबा 0.36है0 व खसरा नम्बर 239/2 रकबा 0.22है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रतिवादी मांगीलाल, नाथूलाल पि0 भागीरथ ने जबरन नदी की भूमि पर कब्जा कर तारबन्दी कर प्रार्थी को बेदखल कर रखा है है। जिसका प्रतिवादी का राजस्व रिकार्ड मे कोई हक अधिकार नही है। खसरा नम्बर 239/2 पर प्रतिवादी गोवर्धन पुत्र प्रभाती लाल जाति मीना निवासी सरजोली ने वादी के खसरा नम्बर 239/2 पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ हैं जिसका राजस्व रिकार्डानुसार कोई हक अधिकार नही है।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सरजोली, पटवार हल्का नेवर तहसील आंधी में वादी की भूमि उक्त आराजियात जिस पर प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 द्वारा किये गये कानून के विपरित व विधि विधान के विपरित कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को उक्त भूमियों का कब्जा दिलवाया जाने के आदेश प्रदान करें।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत बेदखल को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि वादी की ग्राम सरजोली, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 177/2 रकबा 0.36है0 व खसरा नम्बर 239/2 रकबा 0.22है0 से प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को बेदखल किया जावें तथा कब्जा वादी का समलाया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 21/04/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई
(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

उनवान

सोहनलाल बनाम मांगीलाल वगैराह

(वाद अन्तर्गत धारा 183 वाद बाबत बेदखल राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 62/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री रमाशंकर शर्मा अधिवक्ता वादी एवं श्री राजेन्द्र डांगरवाडा अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत बेदखल को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि वादी की ग्राम सरजोली, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 177/2 रकबा 0.36है0 व खसरा नम्बर 239/2 रकबा 0.22है0 से प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को बेदखल किया जावें तथा कब्जा वादी का समलाया जावें।

डिक्री आज दिनांक 21/04/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर